न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 23/2022

दायर दिनांकः 23.02.2022

पुनाराम पुत्र मगनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर

–अपीलांटस

बनाम

1. पुरखाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर
2. भगवानाराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर
3. देवाराम पुत्र हरचन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर
4. उपतहसीलदार जैतसर जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्डक
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत शर्मा

:: **निर्णय**:: दिनांकः–23.05.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) जैतसर के आदेश दिनांक 08.02.2022 जिसके द्वारा उप तहसीलदार जैतसर ने चक 7 एलसी के पत्थर न. 146/354 मुरब्बा न. 54 के किला न. 21 ता 25 में अपीलांट पुनारमा द्वारा बन्द किये गये रास्ता को खुलवाने का आदेश पारित किया है, के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 7 एल सी के खाता संख्या 81 के पत्थर न. 146/354 (54) किला न. 9 ता 13, 18 ता 25 में स्थित 2.151 है0 रकबा का अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त खातेदारी रकबा में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। रेस्पो0 संख्या 01 पुरखाराम ने उप तहसीलदार राजस्व जैतसर के समक्ष रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र किया जो प्रथम दृष्टया धारा 251 आर.टी.ए. के तहत सन्धारणीय नहीं है। तहसीलदार केवल स्वीकृत शुदा रास्ता को खुलवाने हेतु सक्षम होते हे। परन्तु इस प्रकरण में रास्ता स्वीकृतशुदा है ही नहीं। इसलिए अपीलाधीन आदेश एक वॉईड आदेश की श्रेणी में आता है जो प्रथम दृष्टया खारिज योगय है। इसी रकबा के बाबत तथा इन्ही पक्षकारों के मध्य उपखण्ड़ अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष प्रकरण पहले से ही जेरकार था, जिसे छिपाकर रेस्पो0 संख्या 01 ने उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश पारित करवा लियां बिना स्वीकृत मार्ग के धारा 251 के तहत अधीनस्थ न्यायालय रास्ता खुलवाने के लिये प्राधिकृत ही नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सुखाचार में बाधा उत्पन्न हुई मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है [illegible] संबंधी अनुतोष के लिये केवल सिविल न्यायालय ही सक्षम होते है। अधीनस्थ न्यायालय को सुखाचार के संबंध में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। हल्का पटवारी [illegible] रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार वादाधीन रकबा का पुनाराम पुत्र मगनाराम मेघवाल को खातेदार कृषक होना दर्ज किया है तथा किला न. 21 ता 25 पर मौका पर बुआई हेतु [illegible] लगाया हुआ तथा किला न. 21 के दक्षिण पश्चिम कोने पर झोपडी बनी होना तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत ना होना अंकित किया है। पटवारी की इतनी स्पष्ट रिपोर्ट की अनदेखी करके अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। रेस्पो0 को नवीन रास्ता खुलवाने की कतई आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:38:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

नहीं थी क्योंकि पहले से ही पास वाले मुरब्बा में स्वीकृत शुदा रास्ता है। रास्तों के संबंध में स्पष्ट नियम बने हुये है कि रास्ता किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त सुविधा हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता। रास्ता चाहने वाले के लिये पहली शर्त यही है कि उसकी कृषि भूमि तक आने व जाने के लिये रास्ता स्वीकृत नहीं है और उसके पास वैकल्पिक सुविधा भी नहीं तभी रास्ता पर विचार करने के लिये उपखण्ड अधिकारी सक्षम अधिकारी होते हे। परन्तु इस प्रकरण में उप तहसीलदार ने कानून में प्रदत्त प्रावधानों को नजरअंदाज करके केवल मात्र एक पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से व अपीलांट को हैरान परेशान करने की नियत से यह आदेश पारित किया हे जो खारित योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्ड़क हाजिर आये व रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा हाजिर आयें तथा पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो व लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 7 एलसी के खाता संख्या 81 में पत्थर न. 146/354 (54) के किला न. 9 ता 13, 18 ता 25 में स्थित 2.151 है0 रकबा खातेदारी है। मौका पर अपीलांट काबिज है व काश्त कर रहा है। उक्त खातेदारी रकबा में कोई भी रास्ता स्वीकृत नहीं है। रेस्पो0 द्वारा रास्ता खुलवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को दिया गया प्रार्थना पत्र धारा 251 आरटी एक्ट के तहत संधारणीय नहीं था। कानूनन तहसीलदार स्वीकृत शुदा रास्ता खुलवाने हेतु सक्षम होते है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। तहसीलदार को रास्ता खुलवाने की दरख्वास्त पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। परन्तु इस बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.09.1982 अनुसार रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सर्व प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित कर दिया। इसी रकबा बाबत इन्ही पक्षकारों के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष इसी अनुतोष बाबत प्रकरण जैरकार था जिस पर निर्णय पारित होने से पूर्व ही न्यायिक सिद्वांतो की विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पास ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था कि रास्ता स्वीकृत हो और उसे खुलवाया जावे। बिना स्वीकृत मार्ग के धारा 251 आरटीए के तहत रास्ता खुलवाने के अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत नही नहीं थे। आरआरटी 2021 (2) पेज 1013 की ओर ध्यान दिलाया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलांट के रकबा में से रास्ता उपयोग करते रहे हो। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 धारा 251 आरटीएक्ट के तहत अनुतोष की मांग करने के अधिकारी नही ही होते है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1974 एनयूसी पृष्ठ 3 की ओर ध्यान दिलाया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर मात्र 2 या 3 दिन में समस्त कार्यवाही कर दी। अपीलांट को ना तो नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का आधार सुखाचार को [illegible] जिस पर निर्णय देने हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम होते है। न्यायिक दृष्टांत [illegible] 2014 (1) पेज 683 की ओर ध्यान दिलाया और अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:38:19 IST
Reason: SelfAttested

5. अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 7 एलसी के खाता संख्या 81 के पत्थर न. 146/354 के किला न. [illegible] ता 25 में कदीमी रास्ता है जिसमें रेस्पोडेंटस के भी हित निहित है। उक्त रास्ता वर्षो से चल रहा है। उक्त रास्ता सुखाचार का है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन होना आवश्यक नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1996 पेज 559 आरबीएस 2001 पेज 333 की ओर ध्यान दिलाया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.09.1982 जिसमें रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सर्व प्रथम 45 दिन तक ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

पंचायत को अधिकार दिये गये थे, वह नोटिफिकेशन एफ. 3 (2) रिव्यू/जी./2003 पीटी/18 दिनांक 16.01.2009 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में सुखाधिकार के रास्ते 251 आरटीए में खुलवाने का अधिकार पंचायत को कतई नहीं है। आरबीजे 2018 पेज 117 की ओर ध्यान दिलाया। धारा 251 आरटीए की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है जो अपीलांट की उपस्थिति में न्याय पूर्ण तरीके से की गयी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौरहाते हुए यह तर्क दिया है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.9.1982 अनुसार रास्ता खुलवाने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर 45 दिवस तक ग्राम पंचायत कार्यवाही करेगीं वह आदेश राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.01.2009 द्वारा निरस्त कर दी गई है। अपीलांट का तर्क है कि चक 7 एलसी के मुरब्बा न. 146/354 के मुरब्बा न. 21 ता 25 में कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है और जैर अपील रास्ता उपयोग में भी नहीं था। बिना स्वीकृत रास्ते के संबंध में 251 आर.टी.एक्ट. के तहत रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार अधिकृत नहीं है। मुताबिक फर्द मौका दिनांक 31.1.22 गिरदावर जैतसर अनुसार किला न. 21 ता 25 में पूराराम के रकबा में से ही 10–12 फट का रास्ता पिछले 40 वर्षो से चला आ रहा है। 40 वर्षो से चले आ रहे रास्तो को बिना किसी कारण व बिना किसी सक्षम आदेश के बन्द करने के कारण रेस्पो0 के सुखाचार में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है सम्पति अधिनियम 1882 की धारा 15 व आरबीजे (8) 2001 के अनुसार भी यदि रास्ता बन्द होने के कारण किसी के सुखाचार में व्यवधान पैदा होता है तो तहसीलदार धारा 251 आरटीएक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। तहसीलदार प्रकरण में रास्ता खुलवाने संबधी प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की । हल्का पटवारी अपनी रिपोर्ट में भी रास्ता में अवरोध बताया। अपीलांट अधिवक्ता के तर्क में कोई सार नहीं है कि प्रार्थना पत्र दर्ज करने से पूर्व ही रिपोर्ट तलब कर ली गयी तथा बरवक्त रिपोर्ट उसकी उपस्थिति नहीं थी। धारा 251 का प्रकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसे दावा की तरह निर्णित नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार ही पारित किया जाना प्रतीत होता है तथा प्रस्तुत अपील सारहीन प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा उपतहसीलदार जैतसर का आदेश दिनांक 04.05.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:38:19 IST
Reason: SelfAttested